(78)

(51)

I/निगरानी/जबलपुर/भू०रा०/2017/1738

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कुमाक : /2017 निगरानी

सीताराम बारिया पुत्र श्री भैयालाल बारिया निवासी ग्राम महाराजपुरा तहसील पनागर जिला जबलपुर म.प्र.

— निगरानीकर्ता

श्री एड० वी. मदनाणि अभि० द्वारा आज दि. 12-6-17 को प्रस्तुत

12-6-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

— रेस्पोडेन्ट

म.प्र. प्रदेश शासन

निगरानी कर्ता को ओरेत निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरु. न्यायालयअब क लेक्टर जबलपुर के प्रकरण कुमाक 41/बी-121/2012-13 आदेश दिनाक 3.2.2016 से व्यथित होकर।

श्रीमानजी,

सेवा मे निगरानी निम्न तथ्यो व आधारो पर प्रस्तुत है:-

§1§ यह कि, निगरानी के मुख्यत तथ्यानुसार निगरानीकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष याचिकाकुमाक 1425/01 प्रस्तुत की जिसमे दिनाक 20.6.2007 को आदेशित कियागयाकि याचिकाकर्ता सक्षम अधिकारी रेस्पोडेन्ट नं. 4 के न्यायालय मे 30दिवस मे आवेदन प्रस्तुत करे और सक्षम अधिकारी 4 महीने मे प्रकरणकि कानूनी बिन्दुओ पर विचार कर निराकरण करे।

§2§ यहकि निगरानी कर्ता द्वारा न्यायालय अपरकलेक्टर जबलपुर के प्रकरणकुमाक 41/बी-121/ 2012-13 पर दर्ज होकर बताया गयाकि कि ग्राम महाराजपुर स्थित खसरानं. 126 एव 127 क

XXXIX(a)-BR (H)-11

राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण क्रमांक एक-निग/जबलपुर/भू.रा./2017/1738

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के ह
4-10-17	अपर कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 41-बी-121/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 3-2-16 के विरुद्ध यह निगरानी म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर में दिनांक 12-6-17 को (एक वर्ष चार माह) बाद प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने। उन्होंने अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों के प्रकाश में बताया कि आदेश दिनांक 3-2-16 की प्रमाणित प्रतिलिपि 10-2-16 को प्राप्त हो गई थी किन्तु प्रमाणित प्रतिलिपि कहीं गुम हो गई एंव पीलिया हो जाने से आवेदक परेशान रहा एंव इलाज कराकर कमजोरी से निजात पाकर निगरानी प्रस्तुत की गई है विलम्ब क्षमा किया जाय। 3/ आवेदक अथवा उनके अभिभाषक ने बीमारी के पुष्टिकरण के संबंध में चिकित्सा परिचर्या के कागजात अथवा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है एंव स्वतः स्वीकार किया है कि उसे आदेश दिनांक 3-2-16 की प्रमाणित प्रतिलिपि 10-2-16 को प्राप्त हो गई थी। प्रस्तुत निगरानी एक वर्ष चार माह के विलम्ब से है एंव विलम्ब का दर्शाया कारण सदभावना पर आधरित नहीं है जिसके कारण निगरानी अवधि वाह्य होने से निरस्त की जाती है। सदस्य	